

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा, मुस्लिम महिला के हक में ऐतिहासिक निर्णय

Sanket Morankar

Published on 02 Apr 2026



इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को पलट दिया और मुस्लिम महिला के पक्ष में निर्णय दिया है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत मामले तक सीमित है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, भरण-पोषण और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के संदर्भ में भी एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है।

मामला एक ऐसे विवाद से जुड़ा था जिसमें फैमिली कोर्ट ने पहले महिला के दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश की समीक्षा करते हुए पाया कि निचली अदालत ने तथ्यों और कानून की सही व्याख्या नहीं की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए महिला को राहत प्रदान की।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला के भरण-पोषण का अधिकार केवल तकनीकी आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (Muslim Personal Law) से जुड़े मामलों में भी न्यायालय का दायित्व है कि वह महिला के अधिकारों की रक्षा करे और उसे न्याय दिलाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि:

- तलाक से जुड़े मामलों में केवल औपचारिक आदेश नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूरी है
- महिला को आर्थिक सुरक्षा देना कानून और समाज दोनों की जिम्मेदारी है
- फैमिली कोर्ट द्वारा महिला के अधिकारों को नजरअंदाज करना उचित नहीं

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाक (तलाक-ए-मोहम्मदन) का प्रभाव उसके उच्चारण (pronouncement) से ही माना जाएगा, लेकिन इसकी वैधता और परिस्थितियों की जांच करना अदालत का अधिकार है।

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है। हाई कोर्ट ने यह संदेश दिया कि:

- महिला का भरण-पोषण अधिकार एक मूल अधिकार की तरह है
- केवल धार्मिक कानूनों की आड़ में महिला को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता
- अदालतें हमेशा “न्याय” को प्राथमिकता देंगी

कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पति की जिम्मेदारी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती और जरूरत पड़ने पर महिला ससुराल पक्ष से भी भरण-पोषण मांग सकती है।

हाई कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने:

- साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया
- महिला की वास्तविक आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया
- कानूनी सिद्धांतों की संपूर्ण व्याख्या नहीं की

इसी आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और मामले में महिला को राहत दी।

इस फैसले का प्रभाव केवल एक केस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में आने वाले मामलों पर भी पड़ेगा। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि:

- न्यायपालिका महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है
- व्यक्तिगत कानून और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है
- भरण-पोषण और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अदालतें सख्त रुख अपनाएंगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था में महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय केवल तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता और समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

यह निर्णय आने वाले समय में कई ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है।